एमपी-छत्तीसगढ़ में पेंशनरों को बड़ी राहत

महंगाई राहत बढ़ाने की प्रक्रिया आसान

भोपाल, 17 जुलाई. मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनरों को दी जाने वाली महंगाई राहत को लेकर बड़ा फैसला लिया है. जारी आदेश के अनुसार अब महंगाई राहत बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य की सहमति लेना जरूरी नहीं होगा. इससे प्रक्रिया सरल और तेज होगी.

आदेश में कहा गया है कि पहले दोनों राज्यों के बीच सहमति के बाद ही महंगाई राहत में वृद्धि की जाती थी, जिससे देरी होती थी. अब दोनों राज्य अपने-अपने स्तर पर कार्यकारी आदेश जारी कर सकेंगे. यह निर्णय प्रशासनिक सुधार और पेंशनरों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

साथ ही स्पष्ट किया गया है कि कोई भी राज्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित दर से अधिक महंगाई राहत नहीं देगा. बढ़ोतरी से संबंधित वित्तीय भार की जानकारी एक-दूसरे को दी जाएगी. यह आदेश जारी होने की तारीख से ही प्रभावी माना जाएगा.

सात एसपीएस बने आईपीएस

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 17 जुलाई. राज्य पुलिस सेवा के सात अफसरों को भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में पदोन्नत कर दिया गया है. शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. इसी के साथ इन अफसरों के आईपीएस संवर्ग में पदोन्नत होने का रास्ता साफ हो गया. राज्य पुलिस सेवा के जिन अफसरों को आईपीएस संवर्ग में पदोन्नत किया गया है, उनमें निमिषा पांडे, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा पाठक सोनी, सुमन गुर्जर, सब्यसाची सराफ और समर वर्मा शामिल हैं. इन सभी अफसरों को भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग का वर्ष 2017 बैच आवंटित किया जाएगा. यहां बता दें कि राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में पदोन्नत करने के लिए बीते 25 जून को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की गई थी, जिसमें लगभग 21 अफसरों के नामों पर विचार किया गया था.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

आचार्यश्री समय सागर महाराज के नगर प्रवेश पर यातायात रहेगा परिवर्तित

नवभारत समाचार

भोपाल, 17 जुलाई. देश के सबसे बड़े जैन संत 108 आचार्यश्री समय सागर जी महाराज के शहर प्रवेश के कारण शहर में खासतौर से नर्मदापुरम मार्ग पर यातायात व्यवस्था परिवर्तित रहेगी.

आचार्यश्री 18 जुलाई की सुबह 06:00 बजे नटराज कॉलोनी, 11 मील जैन मंदिर पहुंचेंगे. वहां प्रवचन का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इस वजह से 11 मील से भोपाल शहर की ओर आने वाले यातायात को आवश्यकता अनुसार मार्ग परिवर्तित कर बायपास का उपयोग कराया जावेगा.

इसी तरह 19 जुलाई को सुबह आचार्यश्री नारायण नगर जैन मंदिर से पदविहार कर चातुर्मास स्थल एमपी नगर जैन मंदिर पहुंचेंगे. इस दौरान भी मार्ग में आवश्यकता अनुसार कुछ समय के लिए यातायात परिवर्तित किया जावेगा.

जैन मंदिर एमपीनगर में आचार्यश्री के चातुर्मास कार्यक्रम के दौरान पार्किंग और यातायात परिवर्तन की व्यवस्था प्रतिदिन सुबह के समय परिवर्तित रहेगी. सुबह के समय मानसरोवर से बोर्ड ऑफिस के मध्य का यातायात परिवर्तित मार्ग- मानसरोवर से महावीर द्वार, नूतन कॉलेज, व्यापम चौराहा होकर बोर्ड ऑफिस से संचालित किया जाएगा.

पुलिस प्रशासन ने आम जनता से निर्धारित डायवर्सन व्यवस्था का उपयोग करने का अनुरोध किया है. प्रशासन ने कहा कि निर्धारित व्यवस्था अपनाए जाने पर नागरिकों को असुविधा नहीं होगी.

इस प्रकार रहेगी पार्किंग :

- दो-पहिया वाहन पार्किंग मेट्रो स्टेशन के पीछे रहेगी.
- चार-पहिया वाहन पार्किंग पंडाल के दायें, बायें व सर्विस रोड पर रहेगी.
- आगन्तुकों को लेकर आने वाली बसें उन्हें प्रगति पेट्रोल पंप चैराहा पर उतारकर, बस बोर्ड ऑफिस होते हुए आईएसबीटी बस पार्किंग में जाएंगी.

निर्वाचन संबंधी कार्यशाला संपन्न

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 17 जुलाई. निर्वाचन सदन मप्र में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम विषय पर एक दिवसीय अंतराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ.

सम्मेलन का आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर के सहयोग से किया गया. सम्मेलन में देश के सभी राज्य और अमेरिका, नेपाल, मॉरिशस सहित कई देशों के निर्वाचन प्रबंधन से जुड़े प्रतिनिधि, विशेषज्ञ एवं अधिकारी ऑनलाइन शमिल हुए. लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने, निर्वाचन प्रबंधन में नवाचार, मतदाता सहभागिता, तकनीक के प्रभावी उपयोग एवं निर्वाचन से जुड़ी वैश्विक सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर विचार-विमर्श किया. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश संजीव कुमार झा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अनुभवों का साझा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है. अन्य वक्ताओं और विषय विशेषज्ञों ने भी अपने अपने विचार रखे.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में कार्यशाला आयोजित

निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मिली ट्रेनिंग

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 17 जुलाई. प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में एक दिवसीय क्षमता-वर्धन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. इन्दौर एवं सागर संभाग के नगरीय निकायों के जन-प्रतिनिधियों के व्यावहारिक एवं प्रशासनिक कौशल को विस्तार देने के लिए कार्यशालाएं इन्दौर और सागर में आयोजित की गईं.

ट्रेनिंग प्रोग्राम राज्य स्तर से इम्पैनल्ड स्वच्छता नॉलेज पार्टनर्स एआईआईएलएसजी, भोपाल द्वारा होटल दीपाली, सागर में और फीडबैक फाउंडेशन द्वारा सोलारिस होटल एण्ड क्लब, इन्दौर में संपन्न कराया गया.

विधानसभा सत्र के दौरान जुलूस आदि पर प्रतिबंध

भोपाल, 17 जुलाई. पुलिस आयुक्त ने सोमवार से शुक्रवार तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के मद्देनजर आसपास के क्षेत्र में जुलूस और प्रदर्शन आदि पर रोक लगा दी है. उन्होंने बीएनएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि लोकशांति, कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है. इसका उल्लंघन करने पर संबंधितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

एन सी एल NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कम्पनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

निविदा सूचना

"सीआईएल एवं अनुषंगी कम्पनियों द्वारा सामग्री, कार्य एवं सेवाओं हेतु निर्गत सभी निविदाएँ www.coalindia.in/ सम्बंधित अनुषंगी कम्पनी, सीआईएल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://coalindiatenders.nic.in एवं केंद्रीय लोक प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://eprocure.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त GeM Portal https://gem.gov.in के द्वारा भी प्रोक्योरमेंट किया जाता है।" R-32

पश्चिम मध्य रेल

ई-निविदा सुचना

मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पश्चिम मध्य रेल जबलपुर, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित हेतु निर्धारित निविदा फॉर्म पर खुली कोटेशन आमंत्रित करता है।, ट्रेन क्र., सांकेतिक लाइसेंस फीस (लागू जीएसटी को छोड़कर) और बयाना राशि जमा का विवरण, **NIT No** : 01-2026-TSV-22173-74, **कार्य का नाम:** ट्रेन क्र. 22173-74 (CAF-JBP-CAF Exp-) (बिना पैंट्री कार के) में 'ट्रेन साइड वेंडिंग' के जरिए ऑन-बोर्ड खानपान सेवाएँ देने के लिए कोटेशन, **ट्रेन क्र.:** 22173-74, **सांकेतिक लाइसेंस फीस प्रति वर्ष:** 5,35,392/-, ईएमडी : 60,000/-, NIT No: 02-2026-TSV-12185-86, **कार्य का नाम:** ट्रेन क्र. 12185-86 (RKMP-REWA-RKMP Exp-) (बिना पैंट्री कार के) में 'ट्रेन साइड वेंडिंग' के जरिए ऑन-बोर्ड खानपान सेवाएँ देने के लिए कोटेशन, **ट्रेन क्र.:** 12185-86, **सांकेतिक लाइसेंस फीस प्रति वर्ष:** 8,64,864/-, **ईएमडी:** 90,000/-, NIT No: 03-2026-TSV-22187-88, **कार्य का नाम:** ट्रेन क्र. 22187-88 (RKMP-ADTL-RKMP Exp-) (बिना पैंट्री कार के) में 'ट्रेन साइड वेंडिंग' के जरिए ऑन-बोर्ड खानपान सेवाएँ देने के लिए कोटेशन, **ट्रेन क्र.:** 22187-88, **सांकेतिक लाइसेंस फीस प्रति वर्ष:** 8,64,864/-, **ईएमडी:** 90,000/-, NIT No: 04-2026-TSV-11273-74, **कार्य का नाम:** ट्रेन क्र. 11273-74 (ET-PCOI-ET Exp) (बिना पैंट्री कार के) में 'ट्रेन साइड वेंडिंग' के जरिए ऑन-बोर्ड खानपान सेवाएँ देने के लिए कोटेशन, **ट्रेन क्र.:** 11273-74, **सांकेतिक लाइसेंस फीस प्रति वर्ष:** 18,73,872/-, **ईएमडी** : 1,90,000/-, उपरोक्त कोटेशन दिनांक 20.07.2026 को 15:30 बजे खुलेगी। कोटेशन सुचना की पूर्ण जानकारी रेलवे वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।, रेल प्रशासन को बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा का स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। (हस्ता.)

कृते मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय थाना प्रभारी थाना तलैया नगरीय पुलिस भोपाल

क्रमांक/था.प्र./तलैया/भो/मर्ग क्रमांक 10/2026 दिनांक- 08/07/2026

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख कर निवेदन है कि थाना तलैया पर दिनांक 19.04.2026 को सूचक रेवा शंकर पिता जगन्नाथ प्रसाद उम्र 54 साल नि. म.नं.100 आनन्द नगर श्याडा रोड खंडवा जिला खंडवा, हाल पता निवासी शाहजहांनी पार्क के सामने हॉकर्स जोन थाना तलैया भोपाल की सूचना पर थाना तलैया भोपाल में मर्ग क्र. 10/2026 धारा 194 बीएनएसएस का पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया. मृतक अज्ञात पुरुष उम्र करीबन 65 साल के परिजनों की तलाश हेतु हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं.

मृतक का हुलिया - चेहरा लंबा, कद 5.6 फुट, काली शर्ट, जिसमे सफेद फूल बने हैं, हाथ के ऊपर गुदना गुदा हुआ है. जिसके परिजनों की तलाश पतारसी के हरसंभव प्रयास किये गये, लेकिन कोई जानकारी नही मिली. जिस व्यक्ति को जानकारी हो थाना तलैया भोपाल आकर जानकारी देवें अथवा दूरभाष क्रमांक 9479990553 एवं जांचकर्ता सउनि मनोहर सिह के मो.नं. 8839745171 पर तत्काल संपर्क करें.

G15764/26

थाना प्रभारी
थाना तलैया भोपाल

सूचना / प्रकाशन हेतु

फॉर्म संख्या 4

न्यायालय ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेष एवं छत्तीसगढ

द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, भारत संचार निगम लिमिटेड बिल्डिंग, प्रधान डाकघर के पास, सिविल लाइंस, जबलपुर म.प्र. 482001

(ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम 1993 (प्रकिया) की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत नियम 5 के उपनियम 2ए के साथ पढा जाए)

मूल आवेदन संख्या 760/2021

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — आवेदक

विरुद्ध

धर्मेन्द्र सिंह यादव — अनावेदकगण

प्रति,

धर्मेन्द्र सिंह यादव आ. श्री विजय सिंह यादव,

3, पुराखाना, ग्राम - अर्जुनखेड़ी, तहसील- बैरसिया, मोपाल, मध्य प्रदेश - 463111

जबकि ओ.ए. संख्या **760/2021** को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक **28/09/2021** को सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि माननीय न्यायाधिकरण को उक्त आवेदन पर अधिनियम की धारा 19 की उपधरा 4 के तहत समन/सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। यह ओ. ए. आपके विरुद्ध मात्र **41,40,713.83 /-** रुपये की ऋण वसूली के लिये दायर किया गया है।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 4 के अनुसार, आप अनावेदकों को निम्नलिखित निर्देष दिये जाते हैं:

1. समन की तामील होने के 30 दिनों के भीतर कारण बताएं कि मांगी गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिये।
2. मूल आवेदन के कमांक 3ए में निर्दिस्ट संग्पत्तियों और परिसंपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकट करें।
3. संपत्तियों की कुर्की के आवेदन की सुनवाई और निपटारे तक, आपको मूल आवेदन के कमांक 3ए में प्रकट की गई सुरक्षित परिसंपत्तियों और संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेनदेन करने या उनका निपटान करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
4. आप अधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के अलावा बिकी पट्टे या किसी अन्य माध्यम से उन परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे जिन पर सुरक्षा हित सृजित है और / या मूल आवेदन के कमांक 3ए में निर्दिस्ट या प्रकट की गई अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
5. आप सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत् सुरक्षित परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिकी से प्राप्त बिक्रय राषि का हिसाब देने के लिये उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्रय राषि को उन परिसंपत्तियों पर सुरक्षा हित रखने वाले बैंक में रखे गये खाते में जमा करेंगे।
6. आप आवेदक को दी गई आवेदन की प्रति सहित लिखित बयान दाखित करने और **19/08/2026** को सुबह 10:30 बजे जबलपुर स्थित माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देष दिया जाता है, अन्यथा आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई कर निर्णय लिया जायेगा।

इस न्यायाधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के तहत दिनांक **15/07/2026** को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर म.प्र.

कार्यालय नगर पालिक निगम (यांत्रिकी शाखा) भोपाल

निविदा आमंत्रण सूचना

क्र. 155/यां.वि./2026 **भोपाल, दिनांक 17/7/2026**

निम्न कार्य हेतु म.प्र. लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती हैं. विस्तृत विवरण वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर है.

क्र.	निविदा क्र.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित लागत (रु. में)	निविदा क्रय करने का अंतिम दिनांक	समय
1.	2026_UAD_521499_1	CONSTRUCTION OF CC ROAD AND DRAIN AT KOTRA EWS BEHIND AND IN FRONT OF SARASWATI SCHOOL AND BEHIND OLD POLICE STATION, KOTRA W-27 Z-08	26,27,113	17 Aug 2026	5.30 PM

नोट:- संशोधन वेबसाइट पर ही देखे जा सकेंगे. समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होंगे.

नि.क्र. 455/026/027

कार्यपालन यंत्री (सिविल)
नगर पालिक निगम, भोपाल

संस्कृति संचालनालय, भोपाल, म.प्र.
1, गैस राहत एवं पुनर्वास भवन, प्रथम तल, शिवाजी नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश)

क्रमांक..../सं.सं./भण्डार/2026 **भोपाल, दिनांक....**

निविदा सूचना

मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद, भोपाल (म.प्र.) कार्यालय हेतु कार्यालयीन उपकरणों (ऑल-इन-वन, डेस्कटॉप, मल्टीफंक्शन प्रिंटर, कलर प्रिंटर आदि) के क्रय किये जाने हेतु अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं. निविदाओं से संबंधित विस्तृत विवरण एवं शर्तें GeM Portal पर उपलब्ध है. निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

1.	निविदा फार्म डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 15.07.2026
2.	निविदा फार्म ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 29.07.2026
3.	निर्धारित समयावधि में प्राप्त फार्म निविदाओं के तकनीकी/वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	I. तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि 31.07.2026 II. वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि 03.08.2026

निविदा सूचना में कोई भी संशोधन समाचार पत्र में न दिया जाकर GeM Portal पर ही जारी किये जायेंगे. निविदा संबंधी शर्तों का अवलोकन GeM Portal पर किया जा सकता है. संचालक, संस्कृति संचालनालय को बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार होगा.

G15794/26

संचालक
संस्कृति संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसामान्य को सुचित किया जाता है कि मेरे कागजात में मेरे नाम में भिन्नता है। कुछ कागज में NANDKISHOR SONI है, कुछ में NANDKISHORE SONI लिखा है।

अत: मेरा नाम NANDKISHORE SONI नया व प्रचलित नाम है।

सही : NANDKISHORE SONI
ADD. WARD NO.15, GOULI MOHALLA, BALAGHAT (MP)

CHANGE OF NAME

I, BINDU KUMARI, WIFE OF SHASHI BHUSHAN SINGH, RESIDING AT M.G-88, INDUS ESTATE, BHOPAL, DECLARE THAT MY OLD NAME WAS BINDU KUMARI. NOW MY NAME HAS CHANGED TO BINDU DEVI (NEW NAME). HENCE FORTH, I SHALL BE KNOWN AS "BINDU DEVI" IN FUTURE FOR ALL PURPOSE INCLUDING ALL THE OFFICIAL DOCUMENTATION.

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी, जिला सागर म.प्र.

दूरभाष 07582-223308, फैक्स 07582-222070, 224543
ई मेल admsagar 41@gmail.com
प्रकरण क्रमांक /स-150/2026-27

विज्ञप्ति

चूँकि विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए (वर) श्री चंद्रशेखर पाल पिता श्री नारायण प्रसाद पाल उम्र 65 वर्ष निवासी एच.एन.डी-47 पटेल नगर रायसेन मार्ग भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) एवं (वधू) श्रीमति मंजुला यादव पुत्री श्री उमा प्रसाद यादव उम्र 58 वर्ष निवासी यादव कॉलोनी सागर तहसील व जिला सागर (मध्य प्रदेश) द्वारा स्वयं के विवाह दिनांक 21/06/1988 जो स्थान यादव कॉलोनी सागर तहसील व जिला सागर (म.प्र.) से होना लेख किया है जिसके संबंध में आवेदन जिसकी प्रति संलग्न है अधोहस्ताक्षरी को आवेदन प्रस्तुत किया गया है और उक्त आवेदन पर विचार करने के लिए, तारीख 10/08/2026 नियत की गई है. आपको एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आज इस सूचना की प्राप्ति से नियत दिनांक 10/08/2026 तक अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें कि क्या आप उपरोक्त आवेदन पत्र में वर्णित विशिष्टियों की सत्यता को स्वीकार करते है और क्या विवाह के तथ्यों को विवाह रजिस्टर में प्रविष्टि किये जाने एवं विवाह प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपको कोई आपत्ति है. यदि उपरोक्त कालावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती तो यह समझा जावेगा कि विवाह के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में आपको कोई आपत्ति नहीं है. आप व्यक्तिगत रूप से ऊपर वर्णित तारीख को उपस्थित हो सकते हैं और ऐसा न करने पर कार्यवाहियों आपकी अनुपस्थिति में विनिश्चय की जाने के दायित्वाधीन होगी.

अपर कलेक्टर एवं
विवाह अधिकारी जिला सागर म.प्र.

कार्यालय तहसीलदार तहसील कोलार जिला भोपाल

क्रमांक क्यू / तह. को / रीडर/2026
भोपाल दिनांक 10/07/2026
प्रकरण क्रमांक 395/अ-12/2025-2026 ग्राम बगली

इश्तेहार

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिका रितेश लोवंशी आ. सत्य प्रकाश नि. ग्राम बंगरसिया भोपाल द्वारा ग्राम बंगरसिया स्थित खसरा क्रमांक 208 अंश भाग पर रकबा 0.130 हे. का सीमांकन किया गया. सीमांकन उपरांत अनावेदक मयंक तिवारी आ. महेश चंद तिवारी का कब्जा आया है सूचना उपरांत भी अनावेदक उपस्थित नहीं हुए.

आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त नामांतरण के आवेदन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति/ संस्था को उक्त नामांतरण के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तेहार के जारी होने के दिनांक 24.07.2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे. समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 10.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी किया गया.

तहसीलदार
तहसील कोलार
जिला भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
जहांगीराबाद, भोपाल

क्र./यां.शा./513/2026 भोपाल, दिनांक 16.07.2026

निविदा सूचना (प्रथम आमंत्रण)

विपणन संघ द्वारा स्वयं के लिए गोदाम मरम्मत/निर्माण कार्य हेतु केन्द्रीयकृत पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से E-Tender प्रणाली के अन्तर्गत **www.mptenders.gov.in** पर केवल Online प्रतिशत दर के आधार पर निविदाएं **दिनांक 29.07.2026 को सायं 05:30 बजे तक** आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के संबंध में अन्य जानकारी एवं अनिवार्य शर्तें निविदाकारों को मध्यप्रदेश शासन के ई-निविदा के पोर्टल **www.mptenders.gov.in** पर प्राप्त होंगी एवं विपणन संघ की वेबसाइट **www.mpmarkfed.mp.gov.in** पर भी अवलोकनीय होंगी।

क्र.	Tender Ref. No.	कार्य का नाम	निविदा राशि (रु. में)
1	2387	Construction work of Chokidar Room, Office Room with Toilet Block & Construction work of CC Road for Markfed at Banapura Distt.-Narmadapuram and Construction work of CC Road for Markfed at Pipariya Distt.-Narmadapuram (1st Call)	60,93,356.00

नोट :- 01. आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना अथवा संशोधन संबंधी जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/126927/2026 **मुख्य अभियन्ता (सि.)**

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमण्डल अधिकारी
उप वनमण्डल कन्नौद, वनमण्डल देवास क्षेत्रीय
sdokannod@rediffmail.com
Mo. No. 9424792198

जाहिर सूचना

क्रमांक / सु.रा/2026/1700 **कन्नौद, दिनाँक 11/07/2026**

उप वनमण्डल कन्नौद, वनमण्डल देवास क्षेत्रीय के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र खातेगाँव, सतवास, कॉंटाफोड़ के कर्मचारियों द्वारा तालिका में दर्शाये अनुसार वाहन को वनोपज अवैध परिवहन करते हुए जप्त किया है, जिनके अधिकृत (CONFISCATE) की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में विचाराधीन है :-

क्र.	वाहन मालिक/वाहक क्रेता/ आरोपी का नाम एवं पूर्ण पता	वाहन का प्रकार	वाहन का पंजीयन नम्बर	वन परिक्षेत्र का नाम जिसके अन्तर्गत वाहन जप्त किया गया है	वन अपराध प्रकरण क्रमांक/दिनाँक
1.	**वाहन क्रेता-** श्री सलमान बेग पिता रसीद बेग निवासी वार्ड नम्बर-06 कमलापुर तहसील बागली जिला देवास म.प्र.	आयसर प्रो 11.10 XPH CAB-HHD	MP07GA5805	खातेगाँव	44294×09 दिनांक 12.12.2025
2.	**वाहन मालिक / आरोपी-** छोटा पिता मान खाँ मेवाती निवासी ग्राम खारी तहसील सतवास जिला देवास म.प्र.	मोटर साइकिल हीरो होण्डा स्प्लेंडर	MP41MA4666	सतवास	44947×25 दिनांक 28.02.2026
3.	**वाहन क्रेता-** श्री प्रकाश पिता शिवलाल जाति बागरी निवासी हाटपिपल्या जिला देवास म.प्र.	बोलेरो पिकअप	MP41GA3894	कॉंटाफोड़	44917×24 दिनांक 09.03.2026

अतएव इस सार्वजनिक सूचना द्वारा सर्व सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है कि जो व्यक्ति वाहन मालिक है अथवा वाहन से हित रखते हैं, वे विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर उप वनमण्डल कार्यालय कन्नौद क्षेत्रीय में कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जप्तशुदा वाहन को शासन पक्ष में अधिहृत (CONFISCATE) किया जावेगा.

प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी
कन्नौद वनमण्डल देवास क्षेत्रीय

G15807/26

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- 183, प्रथम तल, सोनी भवन, एम.पी. नगर, जोन-2, भोपाल, सरगम सिनेमा के पास होटल रॉयल विला-462011 में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट : www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	सांकेतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्री अनिल कुशवाह श्रीमती चंदा बाई अनिल कंस्ट्रक्शन सीहोर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10876268)	16/03/2026 रु. 931103/- (रु. नौ लाख इकतीस हजार एक सौ तीन मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 25000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह भाग जिसका पता है: खसरा संख्या 1039/6/3, नया खसरा संख्या 1039/6/31/1/1/1/1/1, वार्ड संख्या 03, स्थान: सीहोर, मध्य प्रदेश 466001 क्षेत्रफल वर्ग फुट में : संपत्ति का प्रकार : क्षेत्रफल: 1200.	12/06/2026 दिनांक 06/07/2026 तक कुल बकाया राशि : रु. 976786.43 (रु. नौ लाख छिहत्तर हजार सात सौ छियासी और पैसा तिरतालीस)	रुपये1200000/- (रुपये बारह लाख मात्र) बयाना राशि जमा (ईएमडी) रुपये 120000/- (रु. एक लाख बीस हजार मात्र)

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
19/8/2026 11.00-14.00 बजे	21/8/2026 के 5.00 बजे तक	24/8/2026 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https-//www.ifionehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा. **नोट-** प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं. **शेष भुगतान के लिए -** https-//www.iiflonehome.com ›मेरी बोली ›शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https-//www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वत: ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https-//www.iiflonehome.com और https-//www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी : care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर : @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें : care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

स्थान- सीहोर, दिनांक- 18-7-2026 **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- प्रथम तल, बंधन बैंक के ऊपर, सिविल वार्ड नं. 10, तिगुल्ली सहकारी दाल मिल के सामने, सागर रोड, दमोह-470661 में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट : www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	सांकेतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्री मदन लाल पाल श्रीमती जशोदा पाल मदन लाल पाल (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10684481)	10-2-2026 रु. 897406/- (रु. आठ लाख सन्तानवे हजार चार सौ छह मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह भाग वार्ड संख्या 5, मकान संख्या 31/16, क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट, तहसील और जिला दमोह, खसरा संख्या 1386/12/1/1/1, दमोह खास बजरिया दमोह, मध्य प्रदेश 470661 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) : संपत्ति प्रकार : भूमि_क्षेत्रफल, सुपर_बिल्ट_अप_क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्रफल : 1200.00, 600.00	18-6-2026 कुल बकाया राशि 6-7-2026 को रु. 946662.10/- (रु. नौ लाख छियालीस हजार छह सौ बांसठ और पैसा दस मात्र)	रु. 1440000/- (रु. चौदह लाख चालीस हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 144000/- (रु. एक लाख चवालीस हजार मात्र)

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
19-8-2026 के 11.00-14.00 बजे	21-8-2026 के 5.00 बजे तक	24-8-2026 के 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https-//www.ifionehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा. **नोट-** प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं. **शेष भुगतान के लिए -** https-//www.iiflonehome.com ›मेरी बोली ›शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https-//www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वत: ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https-//www.iiflonehome.com और https-//www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी : care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर : @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें : care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

स्थान- दमोह, दिनांक- 18-7-2026 **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**